# पुलिसकर्मी, खुद को प्रशिक्षित करें

यह आलेख सामान्य अध्ययन प्रश्न-पत्र-II (शासन व्यवस्था) से संबंधित है।

**इंडियन एक्सप्रेस**

लेखक -माजा दारुवाला (बोर्ड सदस्य और वरिष्ठ सलाहकार, राष्ट्रमंडल मानवाधिकार)

20 दिसंबर, 2018

**"राजनीतिक समर्थन के बिना भी, पुलिस नेतृत्व खुद में सुधार लाते हुए लोकतंत्र के लिए उपयुक्त बल बन सकता है।"**

इस महीने, देश भर के सबसे वरिष्ठ पुलिस अधिकारी राष्ट्रीय चिंता के महत्त्वपूर्ण मामलों पर चर्चा करने के लिए इकट्ठे होंगे। उनके साथ वरिष्ठ नौकरशाह और कई मंत्री भी होंगे। यह बैठक इंटेलिजेंस ब्यूरो के अंतर्गत एक बंद दरवाजे के अंदर आयोजित किया जायेगा।

अंतिम एजेंडा हमेशा से यहाँ पर मौजूद राजनीतिक रीति-रिवाजों से प्रभावित रहता है। इसके अलावा, मीडिया ने भी इसे काफी महत्व दिया है जहाँ इस साल के सबसे चर्चित विषयों में फेक न्यूज, लिंचिंग और नव-आविष्कारित लेकिन अपरिभाषित शहरी नक्सल शामिल है। ये सभी मुद्दें राजनीतिक माहौल में बदलाव के साथ उभरते और बदलते रहते हैं।

देखा जाये तो इस संदर्भ में ऐसे कई दीर्घकालिक सबूत मौजूद है जो इस समस्या की गंभीरता को दर्शाते हैं। जिसमें आपातकाल, 1984 में सिखों के खिलाफ हिंसा, 2002 की गुजरात हिंसा, अतिरिक्त न्यायिक हत्याएं और बार-बार बल का अतिरिक्त उपयोग का आरोप, अल्पसंख्यकों और प्रतिष्ठानों को लक्षित कर उन पर बल प्रयोग करना और महिलाओं के लिए सुरक्षा के माहौल को सुनिश्चित करने में असमर्थता, जैसे उदाहरण शामिल है।

1980 में पहले राष्ट्रीय पुलिस आयोग का गठन किया गया था। सिफारिशें प्रशंसनीय थीं लेकिन केंद्र-राज्य तनातनी की भेंट चढ़ गईं। केंद्र ने कहा राज्य देखेंगे और राज्यों ने कहा, कैसे करें। उसके बाद से कई कमेटियां आई गईं। पूर्व पुलिस उच्चाधिकारी प्रकाश सिंह ने 1996 में पुलिस सुधारों की अनदेखी के लिए राज्यों के खिलाफ, सुप्रीम कोर्ट में शिकायत भी डाली लेकिन किसी के कान पर जूं तक नहीं रेंगी।

अलबत्ता 1998 में जुलियो रिबेरो की अगुवाई में कमेटी बनी, फिर 2000 में पद्मनाभन कमेटी और 2005 में पुलिस एक्ट पर सोली सोराबजी कमेटी आई। कांग्रेस और बीजेपी की अगुवाई वाली सरकारों ने सुधारों का शोर तो मचाया लेकिन बुनियादी सुधार लंबित हैं। सितंबर 2006 में सुप्रीम कोर्ट ने राज्यों को पुलिस सुधार पर सात निर्देश जारी किए थे: राज्य सुरक्षा आयोग का गठन, तीन वरिष्ठतम अधिकारियों में से डीजीपी का चयन जो यूपीएससी के प्रावधानों के तहत प्रोन्नति के दायरे में आते हों, ऑपरेशनल ड्यूटी पर न्यूनतम दो साल तक पुलिस अधिकारियों की तैनाती, चरणबद्ध तरीके से जांच पुलिस और कानून व्यवस्था की देखरेख वाली पुलिस का पृथक्कीकरण, डीएसपी और उससे नीचे के पुलिसकर्मियों के लिए पुलिस एस्टेब्लिशमेंट बोर्ड की स्थापना (जो तबादले, पोस्टिंग, प्रमोशन और अन्य सेवा संबंधी मामलों को देखे), राज्य और जिला स्तरों पर पुलिस शिकायत प्राधिकरणों का गठन और वृहद सुधार प्रक्रिया के लिए केंद्रीय स्तर पर एक राष्ट्रीय सुरक्षा आयोग की स्थापना। ये निर्देश कितने अमल में आए, कोई नहीं जानता। ये छोड़िए, 1861 का पुलिस एक्ट तक बदला नहीं गया है।

सुधार और आधुनिकीकरण, कोई एक दिन की प्रक्रिया नहीं है। भारत जैसे देश में जो हालात हैं उनमें इस निरंतर अभियान की जरूरत है।

सबसे पहले औपनिवेशिक दौर के पुलिस एक्ट को बदलने की जरूरत है। पुलिस अफसरशाही के ढांचे में आमूलचूल बदलाव करने होंगे। इस ढांचे को पुलिस की अंदरूनी जरूरतों के हिसाब से ढालना होगा न कि तात्कालिक सरकारों और राजनीतिक दलों के हितों के हिसाब से। काम का बोझ कम करने के लिए नयी भर्तियां करनी होंगी। सिपाही वर्ग की अत्यंत दयनीय स्थिति में फौरन बदलाव करने होंगे।

उनकी तनख्वाह, रहनसहन, भरणपोषण, आवास, उनके बच्चों की शिक्षा स्वास्थ्य आदि कई मामले हैं जिन पर मानवीय नजरिया रखना होगा। एक सिपाही की बदहाली उसे अवसाद और निकम्मेपन का शिकार बना सकती है या भ्रष्टाचार का।

पुलिस के आधुनिकीकरण में लोकतंत्र और मानवाधिकारों की हिफाजत का सबक अंतर्निहित होना चाहिए। उन्हें हथियारों, ट्रेनिंग से और अन्य साजोसामान से तो आधुनिकतम बना सकते हैं लेकिन उन्हें उतना ही आधुनिक- मानवीय और नैतिक तौर पर भी होना होगा। वे नागरिकों की हिफाजत के लिए कानून के रखवाले हैं। ऐसा न हो कि उनके काम के हालात, प्रमोशन और रिवार्ड के लालच, पैसों की फिक्र और राजनीतिक दबाव उन्हें वर्दी के भीतर छिपे एक अलग ही किस्म के और अदृश्य, कुंठित संभावित अपराधी में तब्दील कर दें। जवाबदेही और भरोसे से ही मित्र पुलिस का नारा विश्वसनीय बन पाएगा।

सत्ताधारी पक्ष इस तथ्य को स्वीकार करने में चूक रहा है कि देश की आर्थिक सुधारों की गति एवं राजनैतिक स्थिरता का आधार निष्पक्ष और कुंठारहित पुलिस बल है। एक ऐसे देश में कोई भी विदेशी निवेशक क्यों आना चाहेगा, जहाँ कानून व्यवस्था की स्थिति खराब हो? प्रधानमंत्री का स्मार्ट पुलिस का सपना तब तक पूरा नहीं हो सकता, जब तक कि राज्यों को सुधारों को अपनाने के लिए तैयार न किया जाए। पुलिस सुधारों का मूल उद्देश्य, पुलिस की शोभा बढ़ाना नहीं है। इसका लक्ष्य तो जनता की सुरक्षा बढ़ाना, कानून-व्यवस्था को कायम रखना एवं सुशासन की स्थापना करना है।

## पुलिस सुधार

### पुलिस व्यवस्था क्या है?

- पुलिस बल राज्य द्वारा अधिकारित व्यक्तियों का एक गठित निकाय है, जो राज्य द्वारा निर्मित कानूनों को लागू करने, संपत्ति की रक्षा और नागरिक अव्यवस्था को सीमित रखने का कार्य करता है।
- पुलिस को प्रदान की गई शक्तियों में बल का वैध उपयोग भी शामिल है। पुलिस बल को राज्य की रक्षा में शामिल सैन्य या अन्य संगठनों से अलग बल के रूप में परिभाषित किया जाता है।
- पुलिस राज्य सूची (सूची-II, भारतीय संविधान की अनुसूची 7) के तहत एक विशेष विषय है।

### पुलिस सुधारों की जरूरत क्यों?

- अवसंरचनात्मक कमियाँ
- कार्यबल में कमी
- फॉरेंसिक जाँच व प्रशिक्षण की निम्न गुणवत्ता
- अत्याधुनिक हथियारों की कमी
- वाहनों व संचार साधनों की कमी
- पारदर्शिता का अभाव
- राजनीतिक हस्तक्षेप
- पुलिस की संवेदनहीनता

### विभिन्न समितियों एवं उच्चतम न्यायालय द्वारा दिये गए निर्देश

- एक "स्टेट सिक्योरिटी कमीशन" का गठन हो, जिसका दायित्व, पुलिस को बाहरी दबाव से मुक्त रखना होगा।
- एक "पुलिस स्टेब्लिशमेंट बोर्ड" का भी गठन हो, जिससे कार्मिक मामलों में पुलिस को स्वायत्तता प्राप्त हो।
- एक "पुलिस शिकायत प्रकोष्ठ" का गठन हो, जो पुलिस के विरुद्ध गंभीर शिकायतों की जाँच कर सके।
- डी.जी.पी. का कार्यकाल 2 साल सुनिश्चित करने के अलावा आई. जी. व अन्य पुलिस अधिकारियों का कार्यकाल भी सुनिश्चित किया जाए।
- राज्यों में पुलिस बल की संख्या बढ़ाने तथा पुलिस में महिला-कर्मियों की संख्या में भी वृद्धि की जाए।
- पुलिस की कार्यशैली को अत्याधुनिक बनाने के लिये उसे आधुनिक हथियारों और उन्नत फॉरेंसिक जाँच तंत्र उपलब्ध करवाना होगा।
- ब्रिटिश सरकार द्वारा बनाए गए सन् 1861 के पुलिस एक्ट को समाप्त करके सोली सोराबजी समिति द्वारा प्रारूपित 2006 के एक्ट को लागू किया जाए।

### इतिहास और संबंधित समितियां

- पहला पुलिस आयोग 1857 के विद्रोह के तुरंत बाद किया गया था।
- 1902 में दूसरा पुलिस आयोग एएचएल फ्रेजर द्वारा भारत में पुलिस सुधार हेतु किया गया था।
- आजादी के बाद 1959 में केरेला ने पुलिस सुधार समिति की स्थापना की थी।
- पुलिस प्रशिक्षण पर गोरे कमेटी,
- राष्ट्रीय पुलिस आयोग,
- पुलिस सुधार पर रिबेरो समिति,
- पुलिस सुधारों पर पद्मनाभाई कमेटी,
- प्रकाश सिंह बनाम संघ-सुप्रीम कोर्ट द्वारा पुलिस सुधार हेतु निर्देश
- सोलि सोराबजी समिति

### अपेक्षित सुधार

- भारतीय पुलिस अधिनियम 1861 में बदलाव
- पुलिस-जनसंख्या अनुपात में वृद्धि
- आपराधिक प्रक्रिया संहिता की धारा 132 और 197 में बदलाव की आवश्यकता
- लोकपाल कानून की जरूरत
- प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने भारतीय पुलिस को SMART अर्थात् संवेदनशील (SENSITIVE) आधुनिक (MODERN), सतर्क व जिम्मेदार (ALERT and ACCOUNTABLE), विश्वसनीय (RELIABLE) तथा तकनीकी क्षमता युक्त एवं प्रशिक्षित (TECHNO&SAVY and TRAINED) बनाने का आह्वान किया है।

### चुनौतियाँ

- भारत में पुलिस के पास खुफिया आंकड़ों के एकत्रण एवं उनके विश्लेषण के लिये प्रभावी साधनों का अभाव है।
- राज्यों के अन्वेषण विभागों की गुणवत्ता में लगातार गिरावट आ रही है। कई शीर्ष अन्वेषण एजेंसियों एवं पुलिस विभागों में पदों की रिक्तियाँ हैं।
- पुलिस को उपलब्ध हथियार और उपकरण पुराने, निम्न स्तरीय एवं अप्रचलित किस्म के हैं।
- पुलिस को न तो पर्याप्त प्रशिक्षण दिया जा रहा है और न ही तकनीकी ज्ञान की पर्याप्त जानकारी प्रदान की जा रही है। अत: वे तकनीकों का प्रभावी इस्तेमाल नहीं कर पाते।
- विभिन्न पुलिस विभागों एवं जाँच एजेंसियों के बीच समन्वय का अभाव है।
- पुलिस राजनीतिक हस्तक्षेप से पीड़ित है।

## संभावित प्रश्न ( प्रारंभिक परीक्षा )

1. हाल ही में 'पुलिस सुधार' चर्चा का मुद्दा बना हुआ है इस संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए-

   1. पुलिस सुधार हेतु सर्वप्रथम पद्मनाभन कमेटी बनायी गयी।
   2. गृहमंत्री बनने के पश्चात् सरदार पटेल द्वारा पहले राष्ट्रीय पुलिस आयोग का गठन किया गया।

   उपर्युक्त में से कौन-सा/से कथन सत्य है/हैं?

   (a) केवल 1 (b) केवल 2
   (c) 1 और 2 दोनों (d) न तो 1, न ही 2

## संभावित प्रश्न ( मुख्य परीक्षा )

**प्रश्न: देश की आर्थिक सुधारों की गति एवं राजनीतिक स्थिरता का आधार निष्पक्ष एवं कुण्ठारहित पुलिस बल है, किंतु फिर भी सरकारों द्वारा पुलिस के बुनियादी सुधारों के लिए कोई ठोस कदम नहीं उठाया गया है। इस कथन के संदर्भ में पुलिस सुधार के लिए उठाये जाने वाले कदमों एवं उसके मार्ग में आने वाली चुनौतियों की विवेचना कीजिए।**

**( 250 शब्द )**

**नोट :** 19 दिसम्बर को दिए गए प्रारंभिक परीक्षा (संभावित प्रश्न) का उत्तर 1(d/*), 2 (b), 3 (c) होगा।

* प्रिय प्रतियोगी हमारे द्वारा दिए गए 19 दिसम्बर 2018 के आलेख पर आधारित प्रश्न संख्या 1 में लिपिकीय त्रुटि के कारण सत्य की जगह 'सत्य नहीं है' मुद्रित हो गया है अतः इस गलती को सुधारते हुए सही उत्तर 'सत्य है' के आधार पर दिया जा रहा है। धन्यवाद!

GS World
Committed To Excellence